वनमण्डलाधिकारी उमरिया का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन

वनमण्डल उमरिया अन्तर्गत चौगुले एण्ड कम्पनी प्रायवेट लिमिटेड, साउथ गोवा (गोवा) द्वारा ऑनलाइन प्रस्तावित शाहपुर ईस्ट कोल माईन परियोजना में प्रस्तावित 51.013 हे0 राजस्व भूमि का स्थल निरीक्षण मेरे द्वारा दिनांक 03.01.2022 को किया गया। विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र	विवरण	DFO(T) का निरीक्षण रिपोर्ट
1.	प्रस्तावित वनभूमि (हेक्टेयर में)।	0 हे0
2.	व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित वनभूमि का स्थान (अंक्षाश–देशान्तर)।	निरंक
3.	वनभूमि की कानूनी स्थिति (आरक्षित वन/संरक्षित वन/राजस्व वनभूमि या किसी भी अन्य वनभूमि)	राजस्व भूमि
4.	प्रस्तावित वनभूमि का अस्थायी केर्न्स आदि के साथ सीमांकन किया गया	आवेदक संस्था एवं वन अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा संयुक्त स्थल सत्यापन किया गया है।
5.	अतिक्रमण का कोई संकेत।	नही
6.	उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित वनभूमि या उससे लगे गैर वनभूमि के भीतर उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा कोई गतिविधि कर लिया गया हो तो वन संरक्षण अधिनियम के तहत उपयोगकर्ता एजेन्सी के खिलाफ की गई कार्यवाही का विवरण।	उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा वनसंरक्षण अधिनियम का उल्लंघन करना नही पाया गया है
7.	वनस्पति की स्थिति। साईट की गुणवत्ता। प्रजातियों की संरचना।	प्रस्तावित स्थल में मिश्रित प्रजाति के वृक्षो की उपलब्धता हैं। साईट की गुणवत्ता तृतीय श्रेणी एवं वन का घनत्व 0.2 से 0.4 तक है।
8.	वन्यजीवो के दृष्टिकोण से क्षेत्र का महत्व। वन्यजीव की स्थिति (घनत्व और महत्वपूर्ण प्रजातियों की अधिकता, पक्षी, सरीसृप, तितलियों और अनुसूचित वन्यप्राणी, किसी भी लुप्तप्रायः की बहुतायत)। प्रस्तावित क्षेत्र में वन्यजीवों की वर्तमान गणना।	वन्यजीवो के दृष्टिकोण से क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं। क्षेत्र में तेन्दुआ, भालू, चीतल, सांभर, नीलगाय एवं अन्य छोटे वन्यप्राणियों का प्रस्तावित क्षेत्र से आवागमन होता हैं। वन्यप्राणियों की कमी होने से पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हैं।
9.	प्रस्तावित क्षेत्र में वनस्पतियों/जीवों या किसी अन्य अद्वितीय पारिस्थितिकी तन्त्र की क्षतिपूर्ति।	प्रस्तावित योजना से क्षेत्र में वनस्पतियों/जीवों या किसी अन्य अद्वितीय पारिस्थितिकी तन्त्र की क्षति होने से इंकार नही किया जा सकता है।
10.	प्रस्तावित क्षेत्र कार्यआयोजना में दिये गये प्रावधानों के अनुसार प्रबंधित है अथवा नही।	प्रस्तावित भूमि वनभूमि नहीं है।
11.	ऐतिहासिक या धार्मिक दृष्टिकोण से प्रस्तावित क्षेत्र का महत्व।	ऐतिहासिक व धार्मिक महत्व का क्षेत्र नहीं है।
12.	प्रस्तावित क्षेत्र पर व्यक्तियों/परिवारो की निर्भरता।	प्रस्तावित भूमि वनभूमि नहीं है।
13.	प्रस्तावित क्षेत्र से व्यक्तियों/परिवारो का विस्थापन।	प्रस्तावित भूमि राजस्व भूमि है।
14.	प्रस्तावित क्षेत्र से विस्थापित व्यक्तियो/परिवार के लिए पुनर्वास/पुनर्स्थापन की योजना हैं। क्या विस्थापित होने वाले प्रस्ताव से व्यक्तियो में असंतोष हैं।	प्रस्तावित क्षेत्र से व्यक्तियों की असहमति के प्रकरण प्रकाश में नहीं आये है।
15.	प्रस्तावित प्रतिपूरक वनीकरण वनभूमि या गैर–वनभूमि पर हैं। वृक्षारोपण हेतु स्थल की उपयुक्तता। अगर बिगड़े वनभूमि में हैं तो कार्यआयोजना प्रावधान अनुसार विवरण। यदि वृक्षारोपण गैर वनभूमि में प्रस्तावित है तो निकटतम वनक्षेत्र से दूरी। दूरी कि0मी0 में होने कि स्थिति में पैच की संख्या।	परियोजना में राजस्व भूमि प्रस्तावित हैं। अतः प्रतिपूरक वनीकरण प्रस्तावित नही हैं।
16.	प्रस्तावित क्षेत्र किसी भी संरक्षित क्षेत्र का हिस्सा नही होना चाहिए साथ ही निकटतम संरक्षित क्षेत्र की सीमा से दूरी 10 कि0मी0 से अधिक होनी चाहिए।	प्रस्तावित क्षेत्र, बांधवगढ़ टाईगर रिजर्व के बफर क्षेत्र की सीमा 10 कि.मी. के बाहर है।
17.	प्रस्तावित क्षेत्र में आदिवासियों की निर्भरता। क्या इस क्षेत्र में आदिवासियों के अधिकार को मान्यता दी गई हैं।	वन अधिकार अधिनियम के तहत मान्यता नहीं दी गई है।
18.	परियोजना की उपयोगिता, जिसमें परियोजना के आसपास के क्षेत्र में रहने वाले लोग शामिल हैं।	परियोजना की स्वीकृति से आसपास के लोगो को रोजगार प्राप्त होने की संभावना हैं।
19.	नवीनीकरण के मामले में क्या पहले की स्वीकृत आदेश में निर्धारित सभी शर्तो का अनुपालन आवेदक संस्था द्वारा किया गया हैं।	नवीन आवेदन है।
20.	गैर–साइट विशिष्ट परियोजनाओं के मामले में उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा वैकल्पिक विकल्प।	उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा वैकल्पिक विकल्प प्रस्तुत नही किया गया।

21.	उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा वनभूमि का गैर वानिकी उद्वेश्य के लिए न्यूनतम वनभूमि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया गया हैं।	उपयोगकर्ता एर्जेसी न्यूनतम वनभूमि उपयोगिता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
22.	यह सुनिश्चित करते हुए कि वृक्षो के विकास में कोई भी गुंजाइश, प्रस्तावित क्षेत्र का व्यपवर्तन जिस उद्वेश्य से किया जा रहा हैं, पर भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित नही।	प्रस्तावित परियोजना से वृक्षो के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना से इंकार नही किया जा सकता है।
23.	किसी अन्य महत्व का मुद्वा।	निरंक
24.	परियोजना की स्वीकृति के लिए कारण सहित वनमण्डलाधिकारी की विशिष्ट सिफारिश।	वन्यजीवो के दृष्टिकोण से क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं। प्रस्तावित स्थल में वन्यप्राणियों का आवागमन होता हैं व वन्यप्राणियों की सुरक्षा से संबंधित शर्तानुसार स्वीकृति दिये जाने की अनुशंसा की जाती हैं।

स्थान – उमरिया
दिनांक – 03.01.2022

(मोहित सूद)
भा.व.से.
वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल उमरिया (म०प्र०)